भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2182

उत्तर देने की तारीख 9 दिसंबर, 2024

सोमवार, 18 अग्रहायण 1946 (शक)

पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित लोग

2182. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) की शुरुआत से अब तक इसके अंतर्गत प्रशिक्षित लोगों की कुल संख्या प्लेसमेंट और ड्रॉपआउट दर सहित कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए कोई पहल की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या में महिलाओं का अनुपात कितना है;

(ङ) योजना में महिलाओं के नामांकन को बढ़ाने के लिए की जा रही पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(च) पीएमकेवीवाई के वर्तमान संस्करण से प्लेसमेंट को हटाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) वर्ष 2015 से अपनी प्रमुख स्कीम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना तथा पूर्व प्रशिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन और पुनर्कौशलीकरण विकास प्रदान करना है। पीएमकेवीवाई के तहत वर्ष 2015 से दिनांक 31.10.2024 तक देश भर में 1.57 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

पीएमकेवीवाई स्कीम के अंतर्गत, योजना के पहले तीन चरणों में अल्पवधि प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक में नियोजन को ट्रैक किया गया था, जो कि पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 है, जिसे वित्त-वर्ष 2015-16 से वित्त-वर्ष 2021-22 तक कार्यवित किया गया। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, हमारे प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विविध कैरियर पथ चुनने के लिए सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था और वे इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख हैं। पीएमकेवीवाई (1.0 से 3.0) के तहत, 24.37 लाख उम्मीदवारों को नौकरी मिलने की सूचना मिली है। पीएमकेवीवाई के तहत, वर्ष 2015 से दिनांक 30.10.2024 तक, 9.42 लाख उम्मीदवारों को छोड़ दिया गया है, जो इस स्कीम के तहत नामांकित उम्मीदवारों का 5.4% है।

(ख) और (ग) पीएमकेवीवाई के तहत, क्रमिक प्रशिक्षण जीवन चक्र अर्थात नामांकन, प्रशिक्षण, आकलन, प्रमाणन आदि के विभिन्न चरणों में ड्रॉपआउट देखे गए हैं। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत ड्रॉपआउट को कम करने के लिए, मंत्रालय ने नामांकन से पहले और बाद में परामर्श, मांग-आधारित पाठ्यक्रम और भोजन तथा आवास और वाहन सहायता जैसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए हैं। मानकीकृत सामग्री, निगरानी और शिक्षुता के अवसरों के माध्यम से प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा, मिली-जुली शिक्षा और स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म सहित प्रौद्योगिकी एकीकरण लचीलापन बढ़ाता है। इसके अलावा, उद्योग हितधारकों के साथ भागीदारी जॉब के अवसरों को बढ़ाती है, उम्मीदवारों को अपना प्रशिक्षण पूरा करने और प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है।

(घ) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत दिनांक 30.10.2024 तक 1.57 करोड़ में से 70.96 लाख महिला उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(ङ) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए परिवहन लागत और भोजन और आवास सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। पीएमकेवीवाई 4.0 उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है और उन पर विशेष ध्यान देता है जो महिलाओं को प्राथमिक लाभार्थी के रूप में महत्व देते हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटेल, हेल्थकेयर, ब्यूटी एंड वेलनेस, हस्तशिल्प और परिधान जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए हैं।

(च) पीएमकेवीवाई 4.0 ने स्व-रोजगार और विविध कैरियर पथ के लिए नियोजनीय और उद्यमशीलता कौशल पर बल देते हुए उम्मीदवार-केंद्रित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नियोजन घटक को अलग कर दिया है। इससे कुशल, अनुकूल कार्यबल का निर्माण होता है, जो बाजार–मांग के अनुरूप होता है और स्थायी आजीविका को बढ़ावा मिलता है।

*****